आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली सामान्य कागजात/जानकारी की निदेशात्मक सूची। सभी कागज़ात /जानकारी दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम सं	**गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में प्रमाणपत्र और पंजीकरण प्राप्त करने वाली कंपनी द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताएं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने करने के कागज़ात ।**	**फाईल के अनुसार पृष्ठ संख्या**
1	आवश्यक न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि रू 500 लाख।	
2.	आवेदन दो अलग अलग सेटों में समुचित रूप से दो अलग अलग फाइलो में लगाकर व्यवस्थित पेज नम्बर के साथ प्रस्तुत करना होगा।	
3	पहचान का विवरण (अनुबंध I)	
4	विवेकपूर्ण मानदण्ड पर विवरण (अनुबंध II).	
5	प्रबंधन के संबंध में सूचना (अनुबंध III)	
6	एनबीएफसी के रूप में कार्य करने हेतु कंपनी को जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति संलग्न की गई है? **(मौजूदा कंपनियों के लिए)**	
7	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान से वर्तमान तारीख तक कंपनी के प्रबंधन में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसका ब्योरा दिया जाए तथा उसके कारण बताये जाये।	
8	पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में निगमन प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतियां और कारोबार प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र।	
9	कंपनी का संस्था के बहिर्नियम और संस्था के अंतर्नियम की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां।	
10	वित्तीय कारोबार से संबद्ध मेमोरेंडम के खंडों का विवरण।	
11	संस्था के बहिर्नियम और संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन का विवरण विधिवत प्रमाणित किया हुआ।	
12	कंपनी को आबंटित पॅन /सीआईएन की प्रति	
13	अनुबंध II निदेशक /प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कर और सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात प्रस्तुत किया जाए।	
14	अनुबंध III (निदेशक का प्रोफाइल) प्रत्येक निदेशक द्वारा भरकर और हस्ताक्षर कर अलग से प्रस्तुत किया जाए। फर्म /कंपनियां /संस्थाए जिनमें निदेशक का पर्याप्त हित निहित हैं उनके संबंध में बैंकर का विवरण देने में सावधानी बरतनी होगी।	
15	यदि निदेशक पर्याप्त हित सहित या पर्याप्त हित के बिना (प्रत्येक कंपनी फर्म में धारिता का प्रतिशत का उल्लेख करें) अन्य कंपनियों से संबंधित हैं, तो कंपनी की गतिविधि तथा उनके विनियामक , यदि कोई हो तो उसका स्पष्ट रूप से ब्योरा दे।	
16	संबंधित एनबीएफसी से प्रमाण पत्र जहां से निदेशक ने एनबीएफसी का अनुभव प्राप्त किया है।	
17	निदेशकों को आबंटित पॅन और डीआईएन की प्रति।	
18	कंपनी के निदेशको के संबंध में सीआईबीआईएल आंकडें।	
19	पर्यापत हित के साथ /पर्याप्त हित के बगैर यदि निदेशकों द्वारा अनिगमित निकायों के ग्रूप में निदेशक पद धारण किया है तो ऐसी अनिगमित निकायो का पिछले 2 वर्षों का वित्तीय विवरण	
20	अनिगमित निकायों के संबंध में भारिबैं अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIग की धारा 45ध के अनुपालन का प्रमाणपत्र संलग्न करें जिसके साथ कंपनी के निदेशक संबंद्ध है।	

21	क्या कंपनी या अन्य कोई एनबीएफसी /आरएनबीसी पर पहले कोई प्रतिबंधक आदेश जारी किया गया था जिसके साथ निदेशक /प्रवर्तक आदि संबंद्ध हो? यदि हां, तो उसका ब्योरा।	
22	क्या कंपनी या उसका कोई निदेशक, परक्राम्य लिखत अधिनियम, की धारा 138(1) सहित, किसी अपराधिक मामले में लिप्त हैं? यदि हां तो उसका ब्योरा दें।	
23	कंपनी ने कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं की है और भविष्य में भी भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित अनुमति के बगैर कोई जमा राशि स्वीकार नहीं करेगी इस आशय का निदेशक मंडल संकल्प।	
24	कंपनी द्वारा पहले कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं किया गया है और आज तक कोई सार्वजनिक जमाराशि धारण नहीं किया गया है और भविष्य में भी भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित अनुमति के बगैर कोई जमा राशि स्वीकार नहीं करेगी इस आशय का निदेशक मंडल संकल्प।	
25	कंपनी द्वारा कोई एनबीएससी गतिविधि नहीं की जाती / एनबीएफसी गतिविधि समाप्त की गई है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बगैर इसे नहीं किया जाएगा / यह प्रारंभ नहीं किया जाएगा इस आशय का निदेशक मंडल संकल्प। **(केवल नई कंपनियों के लिए)**	
26	"उचित व्यवहार संहिता" बनाने के संबंध में निदेशक मंडल संकल्प की प्रमाणित प्रति।	
27	निदेशक मंडल संकल्प की प्रति जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कंपनी द्वारा रू 500 लाख के एनओएफ का एनओएफ मापदण्ड की आवश्यकता को समय सीमा के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। **(मौजूदा कंपनियों के लिए किंतु एनओएफ मापदण्ड को पूरा नहीं करती है)**	
28	निदेशक मंडल संकल्प की प्रति सहित संलग्न रोड मैप जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि वे कुल परिसंपत्ति / आय का 75% फैक्टरिंग परिसंपत्ति / आय अर्जित करेंगी अथवा 22 जुलाई 2014 तक अपना फैक्टरिंग कारोबार समाप्त कर लेंगी। **(मौजूदा कंपनियों के लिए किंतु जो परिसंपत्ति /आय प्रतिशत के मापदंड को पूरा नहीं करती है)**	
29	सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि कंपनी सार्वजनिक जमा राशि स्वीकारती /धारण नहीं करती हैं।.	
30	सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि कंपनी द्वारा कोई एनबीएससी गतिविधि नहीं की जाती है।	
31	सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जिसमें आवेदन की तारीख तक निवल स्वाधिकृत निधि प्रमाणित किया गया हो।	
32	सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि वित्तीय परिसंपत्ति में इसके कुल परिसंपत्ति का न्यूनतम 75% फैक्टरिंग कारोबार करने में किया जा रहा है तथा फैक्टरिंग कारोबार से व्युतपन्न आय इसके समग्र आय के 75 प्रतिशत से कम नहीं है।	
33	प्रतिशत सहित कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी और नवीनतम शेयर धारिता स्वरूप का ब्योरा। यदि शेयर धारिता में कोई परिवर्तन की गई है तो उसका दस्तावेजी साक्ष्य। यदि कोई कॉरपोरेट शेयर धारक हैं, तो	

	निवेश के पश्चात एनओएफ की पर्याप्तता को प्रमाणित करनेवाला सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र। अन्य कॉरपोरेट शेयर धारकों की गतिविधियों का ब्योरा भी उपलब्ध करायें।	
34	एनओएफ शेष का दर्शाता हुआ सावधि जमा रसीद और कोई धारणाधिकार नहीं है के समर्थन में बैंकर्स प्रमाणपत्र।	
35	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यदि पूंजी का अंत:प्रवाह किया गया है तो कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए गए आबंटन विवरण की प्रति के साथ उसका ब्योरा दें।	
36	बैंक शेष/ बैंक खाता तथा बैंक /शाखा का पूरा पता जहां से ऋण/क्रेडिट सुविधा ली गई है।	
37	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अन्य से जुटाए गए (निदेशकों से भी जुटाया गया हो तो) गैर जमानति ऋण का ब्योरा, कोई हो तो, और यदि यह सार्वजनिक जमा राशियों से छूट की श्रेणी में आता हैं तो लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र।	
38	क्या कंपनी के ग्रूप/सहायक/होल्डिंग के विवरण से संबंधित चार्टर्ड अकांटेंट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है? *(क्या कंपनी सीआईसी/सीआईसी-एनडी-एसआई है यह निर्धारित करने के उद्देश्य से, ग्रूप कंपनी की विशिष्ट व्याख्या 5 जनवरी 2011 के अधिसूचना सं: डीएनबीएस(पीडी)219/सीजीएम(यूएस)-2011 के पैरा 3(1) ख में किया गया है जिसके अनुसार ऎसी व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक संस्थान* (entities) *का निम्नलिखित संबंधो में से किसी के द्वारा एक दुसरे से जुडा रहना. सहायक कंपनी- मूल कंपनी (एएस 21 के प्रावधानों के तहत परिभाषित), संयुक्त उपक्रम (एएस 27 के प्रावधानों के तहत परिभाषित) , सम्बद्ध (एएस 23 के प्रावधानों के तहत परिभाषित), प्रोमोटर - प्रोमोटी (सेबी विनियमन , 1997 (शेयरो का अधिग्रहण तथा टेकओवर) के आधार पर) , लिस्टेड कंपनी के लिए, संबंधित पार्टी (एएस 18 के प्रावधानों के तहत परिभाषित) , समान ब्रांड वाले नाम तथा ईक्विटी में 20% तथा अधिक का निवेश)* ब्योरे में कंपनी का नाम , उसकी गतिविधि , क्या वह एनबीएफसी हैं या सेबी / आईआरडीए / एफएमसी / एनएचबी / विदेशी विनियामक जैसा कोई उसका अन्य विनियामक है। यदि वे अविनियमित हैं तो उनकी गतिविधियों , प्रमुख बैंकर का नाम , पता , खाता सं . का ब्योरा दे। क्या इन कंपनियों के नामो का उल्लेख आवेदक कंपनी के तुलनपत्र में किया जाता है ? यदि नहीं , तो उल्लेख नहीं करने का कारण बतायें। क्या विदेशी ग्रूप कंपनियां सामान्य अनुमति मार्ग के तहत स्थापित की गई हैं या उचित प्राधिकरण की अनुमति से , कोई हो तो। यदि ग्रूप में अन्य एनबीएफसी हैं , अन्य एनबीएफसी होने का औचित्य बतायें।	
39	पिछले तीन वर्षो के दौरान कंपनी की गतिविधियों की पृष्ठभूमि पर संक्षिप्त टिप्पणी।	
40	क्या कंपनी द्वारा पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया था , यदि अस्वीकृत हो गया था तो उसका पूर्ण विवरण दे। यदि पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष आवेदन नहीं किया गया है तो क्या कंपनी द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र के बगैर	

	एनबीएफसी गतिविधियां की जा रही थी। यदि हां , उसका कारण बताएं। क्या उनके द्वारा अब पूर्ण रूप से एनबीएफसी गतिविधियां बद कर दी गई है तथा यह उनके लेखा परीक्षको द्वारा प्रमाणित किया गया है। यदि कंपनी द्वारा किसी परिस्थिति में एनबीएससी कारोबार किया गया है तो धारा 45 झक के उल्लंघन के लिए क्षमा याचना पत्र भी प्रस्तुत किया जाए।	
41	पिछले तीन वर्षों का निदेशक और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षित तुलनपत्र और लाभ-हानि खाता या ऐसी कम अवधि के लिए जो उपलब्ध हो। (पहले से मौजूद कंपनियों के लिए)	
42	अगले तीन वर्ष के लिए कंपनी की कारोबार योजना (ए) कारोबार का प्रमुख क्षेत्र (बी) बाजार विभाजन और (सी) पूर्वानुमानित तुलन-पत्र, नकदी प्रवाह विवरण, परिसंपत्तियां /आय का स्वरूप के विवरण के साथ ब्योरा दे बिना किसी सार्वजनिक जमाशि तत्व के।	
43	दस्तावेजी साक्ष्य समर्थित , यदि कोई हो तो, कंपनी के प्रारंभ की पूंजी का स्रोत। बशर्ते बैंक विवरणी/आईटी विवरणी आदि स्वतः अभिप्रमाणित हो।	
44	दस्तावेजी साक्ष्य समर्थित अन्य कंपनियों के साथ विलय और अधिग्रहण का ब्योरा यदि कोई हो तो।	
45	क्या कंपनी किसी पूंजी बाजार गतिविधियों में लिप्त हैं? यदि हाँ, तो क्या कभी सेबी के किसी विनियमों का गैर अनुपालन किया गया है? (विवरण लेखा परीक्षकों द्वारा विवरण प्रमाणित किया हुआ हो।)	
46	क्या कंपनी को संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के रूप में कार्य करने हेतु एफईडी द्वारा कभी कोई अनुमति प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो अनुमति प्रदान करने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र की प्रति।	
47	यदि कंपनी में एफडीआई हैं तो उसका प्रतिशत (उसके समर्थन में एफआईआरसी प्रस्तुत करें) और क्या वह पूंजीकरण के न्यूनतम मानदण्डों को पूरा करती हैं या नहीं (एफसी_जीपीआर भी प्रस्तुत करें) (i) क्या एफडीआई एफआईपीबी की अनुमति से लाया गया हैं? (अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए) (ii) क्या एफडीआई में सहयोग प्रदान करने वाली विदेशा संस्था अपने देश के पर्यवेक्षण के अधीन है? (यदि हां, नाम, पता और विनियामक का इमेल पता)। (iii) यदि नहीं हैं, तो विधिक स्थिति का उल्लेख करें, जैसे किस कानून के तहत यह स्थापित की गई है, उसकी सांविधिक प्रतिबद्धता, कौन सी प्रक्रिया के तहत स्थापित की गई, क्या शेयर बाजार पर सूचीबद्ध हैं आदि. (iv) विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) की विशिष्ट अनुमति यदि कोई प्राप्त की हो तो/ यदि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में विदेशी आवक संप्रेषण प्रमाणपत्र प्राप्त की गई है तो आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाए। (v) वित्तीय गतिविधिया करनेवाले ग्रूप / सहयोगी कंपनियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां तथा वित्तीय गतिविधियां जो अपने देश के अथवा अन्य किसी विनियामक द्वारा विनियमित होती है , यदि कोई होतो। (vi) कोई ग्रूप/सहायक कंपनी भारत में परिचालन कर रही हैं, तो उसकी गतिविधियों, उसके साझीदार या सहयोगी, विनियामक/ कों आदि का ब्योरा प्रस्तुत किया जाए।	

48	आवेदक कंपनी को यह घोषणा करना होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब कभी अपेक्षित हो वैसा इंटरनेट के माध्यम से विवरण की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति करेने में सक्षम हैं। और कंपनी का इमेल पता दिया गया हैं?	
49	क्या आवेदक कंपनी, इसकी होल्डिंग कंपनी/सहायक कंपनी के निदेशकों द्वारा राजस्व प्राधिकरण अतहवा अन्य सांवधिक प्राधिकरण के दिशानिदेश के गैर अनुपालन का कोई संदर्भ है, यदि हां तो उसका ब्योरा दिया जाए अथवा “शून्य” लिखा जाए।	

नोट (1) उक्त जाँच सूची निदेशात्मक है और परिपूर्ण नहीं। आवश्यकता होने पर बैंक द्वारा अपने संतोष के लिए , एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में पंजीकरण प्राप्त करने की पात्रता के लिए और कागज़ात की माँग कर सकता है।

(2) उक्त कागज़ातों के अतिरिक्त यदि बैंक और कागज़ात की माँग करता है तो ऐसी स्थिति में, आवेदक कंपनी को निर्धारित एक माह की अवधि में उत्तर देना होगा इसमें चूक करने की स्थिति में मूल सीओआर आवेदन कंपनी को आवश्यक जानकारी /कागज़ात के साथ पुन : प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया जाएगा।